खनिज विभाग ने 3 जेसीबी सहित 6 वाहन जब्त किए

अवैध खनन पर जिला प्रशासन का प्रहार, दिनभर चली कार्रवाई

भिण्ड, 17 फरवरी। कलेक्टर किरोड़ी लाल मीणा के निर्देशन में जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन के विरुद्ध लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में प्रभारी अधिकारी खनिज शाखा भिंड पंकज ध्वज मिश्रा एवं उनकी टीम द्वारा आज दिनभर चली कार्रवाई के दौरान बड़ी सफलता प्राप्त की गई।

खनिज विभाग की टीम ने ग्राम पुर, तहसील भिंड क्षेत्र में खनिज मिट्टी का अवैध उत्खनन एवं परिवहन करते हुए 03 जेसीबी, 01 ट्रैक्टर-ट्रॉली एवं 02 ट्रैक्टर मिक्सर को मौके पर जप्त किया। कार्रवाई के दौरान अवैध गतिविधियों में संलिप्त वाहनों को तत्काल अपने कब्जे में लेकर नियमानुसार कार्रवाई की गई। जप्तशुदा सभी वाहनों को नवीन तहसील परिसर भिंड में सुरक्षार्थ खड़ा कराया गया है। जप्त वाहनों के विरुद्ध मध्यप्रदेश खनिज (अवैध खनन, परिवहन, भण्डारण एवं व्यापार) नियम, 2022 के अंतर्गत प्रकरण तैयार कर कार्रवाई प्रस्तावित की जा रही है, जिसे कलेक्टर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा।

कलेक्टर भिंड के स्पष्ट निर्देश हैं कि जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन को किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिला प्रशासन द्वारा ऐसे मामलों में निरंतर निगरानी रखते हुए दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि अवैध खनन पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके।

श्रीमद्भागवत कथा से मिलता है आध्यात्मिक शांति का मार्ग

भिंड, 17 फरवरी। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य अपने निर्धारित प्रवास कार्यक्रम के अंतर्गत गोहद विधानसभा क्षेत्र के नगर परिषद क्षेत्र में वार्ड क्रमांक 5 पहुंचे, जहाँ कुशवाहा समाज द्वारा आयोजित श्रीमद्भागवत कथा में उन्होंने ओंकार कथा का श्रवण किया।

इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए लाल सिंह आर्य ने कहा कि श्रीमद्भागवत कथा और श्रीराम कथा हमारे आध्यात्मिक जीवन को सुदृढ़ करती हैं। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण एवं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम हमारे जीवन के आदर्श हैं। यदि श्रीमद्भागवत कथा के एक-एक भाव को श्रद्धा और विचार के साथ हृदय में स्थापित किया जाए, तो भगवान स्वयं हमारे अंत:करण में प्रकट होकर मन और बुद्धि को शांति प्रदान करते हैं।

संकल्प से समाधान अभियान को लेकर जिले में शिविरों का आयोजन

भिंड, 17 फरवरी। कलेक्टर किरोड़ी लाल मीणा के निर्देशानुसार जिले की समस्त ग्राम पंचायतों एवं नगरीय निकायों में संकल्प से समाधान अभियान के अंतर्गत शिविरों का आयोजन लगातार किया जा रहा है। अभियान का उद्देश्य आम नागरिकों की समस्याओं का त्वरित निराकरण करना एवं शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाना है।

कलेक्टर के निर्देश पर मानगढ़, मिहोना व लहार में लगाए शिविर

इसी क्रम में मंगलवार को जनपद रौन की ग्राम पंचायत मानगढ़, नगर परिषद कार्यालय मिहोना एवं पुरानी गल्ला मंडी लहार में शिविरों का आयोजन किया गया। शिविरों में बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने पहुंचकर अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन प्रस्तुत किए। साथ ही विभिन्न शासन योजनाओं के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र हितग्राहियों से आवेदन स्वीकार किए गए। संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा नागरिकों को योजनाओं की जानकारी दी गई तथा प्राप्त आवेदनों के निराकरण की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। जिला प्रशासन का लक्ष्य संकल्प से समाधान अभियान के माध्यम से शासन और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करते हुए समस्याओं का समयबद्ध, पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान सुनिश्चित करना है।

कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई में 110 आवेदकों की समस्याएं सुनीं

भिंड, 17 फरवरी। मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में कलेक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने जिले के विभिन्न अंचलों से अपनी समस्याओं के निराकरण हेतु पहुंचे 110 आवेदकों की समस्याएं गंभीरता से सुनीं। कलेक्टर ने प्राप्त आवेदनों पर त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इस अवसर पर सीईओ जिला पंचायत भिंड एवं अपर कलेक्टर द्वारा भी आवेदकों की समस्याओं पर जनसुनवाई की गई और उनके निराकरण के लिए संबंधित विभागों को निर्देशित किया गया।

इन विषयों पर दिए गए विशेष निर्देश: जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर ने गंभीर बीमारी से संबंधित इलाज, विद्युत बिलों में सुधार, हैंडपंपों के संधारण, पेंशन, सड़क दुर्घटना सहायता, हितग्राही मूलक योजनाओं, बीपीएल राशन कार्ड तथा जमीन पर अवैध कब्जे से जुड़े आवेदनों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी संबंधित विभाग यह सुनिश्चित करें कि की गई कार्रवाई की जानकारी आवेदक को समय पर उपलब्ध कराई जाए, ताकि आम नागरिकों को बार-बार कार्यालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

14 मार्च को बिजली कम्पनी देगी ब्याज में 100 प्रतिशत तक की छूट

नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी प्रकरणों का होगा समझौते से निराकरण

भिंड, 17 फरवरी। मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा 14 मार्च (शनिवार) को आयोजित नेशनल लोक अदालत में बिजली चोरी एवं अन्य अनियमितताओं से संबंधित लंबित प्रकरणों का समझौते के माध्यम से निराकरण किया जाएगा।

कंपनी द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 के अंतर्गत दर्ज बिजली चोरी के लंबित प्रकरणों एवं विशेष न्यायालयों में विचाराधीन मामलों के निराकरण हेतु विद्युत उपभोक्ताओं एवं उपयोगकर्ताओं से अपील की गई है कि वे किसी भी अप्रिय कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए संबंधित बिजली कार्यालय से संपर्क कर लोक अदालत में समझौता करें।

किन उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ: कंपनी के अनुसार धारा 135 के अंतर्गत बनाए गए लंबित एवं न्यायालय में लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए निम्नदाब श्रेणी के समस्त घरेलू उपभोक्ता, समस्त कृषि उपभोक्ता, 5 किलोवॉट तक के गैर-घरेलू उपभोक्ता, 10 अश्व शक्ति भार तक के औद्योगिक उपभोक्ता, को विशेष छूट का लाभ प्रदान किया जाएगा।

नियम एवं शर्तें लागू

कंपनी ने स्पष्ट किया है कि लोक अदालत में दी जाने वाली यह छूट कुछ नियम एवं शर्तों के अधीन होगी तथा आकलित सिविल दायित्व राशि अधिकतम ?10 लाख तक के प्रकरणों के लिए ही मान्य रहेगी। यह विशेष छूट केवल 14 मार्च 2026 को आयोजित नेशनल लोक अदालत में समझौता करने पर ही लागू होगी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने सभी पात्र उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाएं और अपने लंबित प्रकरणों का शीघ्र एवं सरल समाधान सुनिश्चित करें। आयोजित नेशनल लोक अदालत में समझौता करने पर ही लागू होगी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने सभी पात्र उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस अवसर का अधिकतम लाभ उठाएं और अपने लंबित प्रकरणों का शीघ्र एवं सरल समाधान सुनिश्चित करें।

जमना ऑटो इंडस्ट्री द्वारा नि :शुल्क नेत्र शिविर का आयोजन

मालनपुर, 17 फरवरी। मालनपुर क्षेत्र में संचालित जमना आटो इंडस्ट्रीज द्वारा मंगलवार को रतन ज्योती नेत्रालय ग्वालियर के सहयोग से ष्टस्क्रएक्टिविटी के अंतर्गत मालनपुर अंचल के लोगों के लिए विशाल नि शुल्क नेत्र परीक्षण एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर का आयोजन निजी स्कूल मालपुर के प्रांगण में किया गया जहाँ मालपुर के आस पास के ग्राम सिंधवारी, लहचूरा का पुरा , हरीराम का पुरा, तिलोरी, नौगांव ,बहादुरपुर के ग्रामीणों ने शिविर का लाभ उठाया इस शिविर में लगभग 130 लोगों का परीक्षण करवाकर आवश्यकतानुसार नि:शुल्क दवाइयां ,चश्मे ,प्रदान किये गये एवं 21 चिन्हित मरीज़ों को मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए रतन ज्योति नेत्रालय ग्वालियर भेजा गया। शिविर का आयोजन जमना ऑटो इंडस्ट्रीज के उप महाप्रबंधक एन एम क्यू शम्सी के मार्गदर्शन में किया गया, कैंप में डिप्टी मैनेजर महेंद्र सिंह, डॉ. राजेश शाक्य इंचार्ज मेडिकल ऑफ़िसर जमना आटो, अरुणेश भदौरिया , आर.के. शुक्ला, रामरतन, प्रेम नारायण, आसाराम आदि ने कैंप में सहयोग किया, इसके अतिरिक्त कम्पनी के कई कर्मचारियों ने वॉलेंटियर्स (समाज सेवक)के रूप में कार्य किया स्कूल संचालक का भी सहयोग सराहनीय रहा।

दस्तक अभियान के द्वितीय चरण का जिला स्तर पर शुभारंभ

17 फरवरी से 19 मार्च तक बच्चों को मिलेगा विटामिन 'ए', एनीमिया पर रहेगा विशेष फोकस

भिंड, 17 फरवरी। जिले में बच्चों के बेहतर स्वास्थ्य और कुपोषण व एनीमिया की रोकथाम के उद्देश्य से दस्तक अभियान के द्वितीय चरण का आयोजन मंगलवार से 19 मार्च 2026 तक किया जाएगा। अभियान का जिला स्तरीय शुभारंभ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जे.एस. यादव द्वारा किया गया।

इस अवसर पर सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक डॉ. आर.एन. राजोरिया, जिला टीकाकरण अधिकारी डॉ. गौरव भटनागर सहित स्वास्थ्य विभाग एवं महिला-बाल विकास विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

स्वास्थ्य एवं महिला-बाल विकास विभाग मिलकर करेंगे कार्य :

अभियान की अवधि में स्वास्थ्य विभाग एवं महिला एवं बाल विकास विभाग के मैदानी कार्यकर्ता समन्वय के साथ सेवाएं देंगे। इसके अंतर्गत 9 माह से 5 वर्ष तक के सभी बच्चों को विटामिन 'ए' अनुपूरण दिया जाएगा, वहीं 6 माह से 5 वर्ष तक के चिन्हांकित एनीमिक बच्चों की फॉलो-अप जांच एवं प्रबंधन भी किया जाएगा।

घर-घर पहुंचकर मिलेगा लाभ

दस्तक अभियान के दौरान प्रत्येक ग्राम में नियमित टीकाकरण सत्रों के समय ए.एन.एम. द्वारा 9 माह से 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को आयु के अनुसार विटामिन 'ए' घोल की खुराक पिलाई जाएगी। जो बच्चे किसी कारणवश छूट जाएंगे, उन्हें मॉप-अप दिवस पर घर-घर जाकर अथवा आंगनवाड़ी केंद्र पर एकत्र कर विटामिन 'ए' की खुराक दी जाएगी।

सतत निगरानी की व्यवस्था

अभियान की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य विभाग एवं महिला-बाल विकास विभाग द्वारा सतत मॉनिटरिंग की जाएगी, ताकि कोई भी पात्र बच्चा अभियान से वंचित न रहे।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. जे.एस. यादव ने जिले के समस्त नागरिकों एवं अभिभावकों से अपील की है कि वे इस अभियान का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपने बच्चों को स्वस्थ भविष्य की ओर अग्रसर करें।

नेशनल लोक अदालत के संबंध में समस्त बैंकों के साथ बैठक

शिवपुरी, 17 फरवरी। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार आगामी नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 मार्च (द्वितीय शनिवार) को संपूर्ण प्रदेश के साथ-साथ जिला शिवपुरी में किया जा रहा है। प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद सोनी के मार्गदर्शन में तथा रंजना चतुर्वेदी, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण शिवपुरी की अध्यक्षता में गुरूवार को प्रात: 11.30 बजे से एडीआर भवन शिवपुरी में शिवपुरी जिला मुख्यालय के समस्त बैंक प्रबंधकों के साथ बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठकों में जिला मुख्यालय शिवपुरी के समस्त बैंकों के शाखा प्रबंधक उपस्थित रहे। बैठक में उपस्थित बैंक अधिकारियों को आगामी नेशनल लोक अदालत में न्यायालयों के समक्ष लंबित प्रकरणों को चिन्हित किया जाकर, पक्षकारों को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से प्रकरणों का निराकरण कराने पर होने वाले लाभों से जागरूक किया जाने हेतु निर्देशित किया गया।

बचपन इंटरनेशनल स्कूल में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ

छात्रों ने लिया रोमांचक खेल प्रतियोगिता में हिस्सा

मालनपुर, 17 फरवरी। औद्योगिक क्षेत्र मालनपुर के समीप संचालित बचपन इंटरनेशनल स्कूल में मंगलवार को तीन दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया इस अवसर पर विद्यालय प्रांगण में विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया ,जिसमें नन्हे मुन्ने छात्रों ने कई रोमांचक खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। इस प्रतियोगिता में छात्रों ने अपनी प्रतिभा और टीमवर्क का प्रदर्शन किया।

कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की तस्वीर पर पुष्प अर्पित एवं दीप प्रज्वलित व राष्ट्रगान के साथ हुई, जिसके बाद बच्चों ने ड्रिल और अन्य गतिविधियों में हिस्सा लिया।प्रतियोगिता में 100 मीटर, 200 मीटर एवं 300 मीटर दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप, खो-खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, चेयर रेस, ऊंची कूद, गोला फेंक तथा बैडमिंटन जैसी विभिन्न खेल प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। छात्र-छात्राओं ने कई बेहतरीन पेंटिंग एवं कलाकृतियां बनाकर सभी को अचंभित कर दिया नन्हे मुन्ने छात्रों ने स्वच्छता को लेकर जीवंत नाटक का मंचन कर स्वच्छता का संदेश दिया, नन्हे मुन्ने छात्रों के कई कार्यक्रम आकर्षण का केंद्र रहे जिसे देखकर लोग मंत्र मुक्त रह गए और तालियां बजाकर उनका उत्साह वर्धन किया छात्रों ने प्रतियोगिताओं में बढ़-चढ़कर भाग लिया और अपने कौशल का प्रदर्शन किया।

इस अवसर विद्यालय संचालक दिनेश सिंह परिहार उर्फ बंटू ने कहा कि शिक्षा के साथ-साथ खेलकूद भी जरूरी है खेल कूद से मानसिक व शारीरिक विकास होता है उन्होंने छात्रों को खेलकूद के महत्व को बारीकी से समझाया। कार्यक्रम में विद्यालय संचालक ने मौजूद पत्रकारों को मालाएं पहनाकर और सोल श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया। इस अवसर पर स्कूल के शिक्षक और अभिभावकों ने छात्रों का उत्साहवर्धन किया। प्रतियोगिता के अंत में विजेता छात्रों को ट्रॉफी और प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे.

पेट्रोल पंप चालू कराने को लेकर बना रहे थे दवाब

नापतौल निरीक्षक को धमकी देने का मामला आया सामने, देहात थाने में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग

भिंड, 17 फरवरी। जिले में शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करने एवं नापतौल निरीक्षक को धमकाने का एक गंभीर मामला सामने आया है। नाप-तौल विभाग में पदस्थ निरीक्षक सौरभ शर्मा ने एक पेट्रोल पंप संचालक पर अभद्र भाषा, गाली-गलौच एवं जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए हैं।

जानकारी के अनुसार पेट्रोल पंप संचालक सुरेन्द्र यादव, संचालक मै. यादव फिलिंग सेंटर, दीनपुरा द्वारा 3 फरवरी 2026 को लोक सेवा पोर्टल के माध्यम से विभाग में एक आवेदन प्रस्तुत किया गया था। नियमानुसार ऐसे आवेदनों के निराकरण की समय-सीमा 21 दिवस निर्धारित है। निरीक्षक सौरभ शर्मा ने बताया कि 9 फरवरी को दोपहर लगभग 12:26 बजे पेट्रोल पंप संचालक ने निरीक्षक सौरभ शर्मा को फोन कर नियत समय-सीमा से पूर्व ही कार्य पूर्ण करने का अनुचित दबाव बनाया। जब निरीक्षक द्वारा नियमों के अनुसार प्रक्रिया की जानकारी दी गई, तो कॉल करने वाले व्यक्ति ने आपत्तिजनक एवं अश्लील भाषा का प्रयोग करते हुए गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी। निरीक्षक सौरभ शर्मा ने बताया कि उक्त बातचीत की कॉल रिकॉर्डिंग उनके पास सुरक्षित है, जिसे साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है।

उन्होंने इसे शासकीय कार्य में बाधा एवं लोकसेवक को भयभीत करने का कृत्य बताते हुए संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज किए जाने तथा स्वयं की सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने की मांग की है। इस घटना के बाद विभागीय एवं प्रशासनिक स्तर पर मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। जानकारों का कहना है कि लोकसेवकों पर इस प्रकार का दबाव एवं धमकी कानून व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई आवश्यक है, ताकि शासकीय कार्य निर्बाध एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न हो सके।

कलेक्ट्रेट कैंपस से अज्ञात चोर ले गया बाइक

ग्वालियर। शहर में सक्रिय वाहन चोर कितने बेखौफ हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है, कि कलेक्ट्रेट कैंपस जैसे सुरक्षित स्थन से अज्ञात चोर बाइक पार कर ले गया। बाइक मालिक पुलिस द्वारा अज्ञात की चोरी की एफआईआर आरोपी के खिलाफ दर्ज कर उसकी तस्दीक करने के प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। तिघरा रोड स्थित झंडे का पुरा निवासी राजेंद्र सिंह कुशवाह विगत रोज किसी काम से कलेक्ट्रेट गया था। कलेक्ट्रेट कैंपस में लगे टीनशैड के नीचे बाइक पार्क कर वह अपना काम निपटाने चला गया था।

भूमि विभाग अथवा उपक्रम के लिए भूमि धारकों द्वारा भूमि हस्तांतरित करने पर मांगी आपत्ति

शिवपुरी, 17 फरवरी। विभाग अथवा उपक्रम के लिए भूमि धारकों द्वारा भूमि हस्तांतरित करने हेतु स्वीकृति प्रदान की गई है। इस संबंध में यदि किसी भी व्यक्ति को आपत्ति हो तो वह 15 दिवस के भीतर अपनी आपत्ति कार्यालय कलेक्टर भू-अर्जन शाखा जिला शिवपुरी के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है।

ग्राम बिजरौनी के भूमि खसरा नम्बर 2735/1 के भूमि स्वामी हरीसिंह पुत्र तोफान सिंह जाति यादव 1/6, रामवीर सिंह पुत्र तोफान सिंह 1/6, रामकृष्ण पुत्र तोफान सिंह 1/6, रामकली बाई पुत्री तोफान सिंह 1/6, कुलदीप पुत्र श्रीराम यादव 1/6, कलिया बाई बेवा तोफान सिंह 1/6, भूमि खसरा नम्बर 2738/1/1 एवं 2738/1/3 के भूमि स्वामी जगतार सिंह पुत्र सरूप सिंह जाति सिख निवासी गोविंदपुरा जिला अशोकनगर, भूमि खसरा नम्बर 2738/1/2 एवं 2738/2/1 के भूमि स्वामी परवदीप सिंह पुत्र जगतार सिंह सिख, भूमि खसरा नम्बर 2738/2/2 की भूमि स्वामी जसवीर कौर पत्नि जगतार सिंह सिख के द्वारा भूमि विभाग अथवा उपक्रम को हस्तांतरित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है।

यदि किसी को कोई आपत्ति है तो वह 15 दिवस के भीतर आपत्ति दर्ज करा सकता है। इसके उपरांत प्राप्त आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा एवं प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।

वारदात से पहले धरा अवैध हथियारधारी बदमाश

ग्वालियर. मुरार थाना पुलिस ने वारदात की नीयत से अवैध हथियार लेकर घूम रहे बदमाश को मुखबिर की सूचना पर धर दबोचा, जिसके कब्जे से 315 बोर का लोडेड कट्टा जब्त हुआ है। पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कायमी कर उससे पूछताछ की जा रही है। एसएसपी धर्मवीर सिंह के निर्देश पर अवैध हथियार रखने व उनकी खरीद-फरोख्त करने वालों की धरपकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में मुरार थाना पुलिस को सोमवार मंगलवार की दरम्यानी रात मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई, कि मोहनपुर हाईवे के पास एक बदमाश किसी आपराधिक वारदात को अंजाम देने की नीयत से अवैध हथियार लेकर घूमता देखा गया है। उक्त जानकारी एएसपी अनु बेनीवाल को दिए जाने पर उन्होंने तत्काल मुरार सीएसपी अतुल कुमार सोनी के मार्गदर्शन में थाने की टीम को बताए गए स्थान पर पहुंचाया, तो वहां मौजूद एक संदिग्ध युवक ने पुलिस को देखते ही दौड़ लगा दी। जिसे पहले से ही अलर्ट पुलिस टीम ने घेराबंदी करते हुए धर दबोचा।

युवक की धमकी से तंग होकर किशोरी ने की आत्महत्या

ग्वालियर, 17 फरवरी। पड़ोसी द्वारा दी जा रही धमकी से तंग आई 17 वर्षीय किशोरी ने विगत दिनों फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। घटना गिरवाई थाना क्षेत्र की है। जिसमें पुलिस ने विवेचना उपरांत आरोपी के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने की एफआईआर दर्ज कर ली है। फिलहाल आरोपी फरार बना हुआ है, जिसकी पुलिस द्वारा तलाश की जा रही है।

गिरवाई थाना क्षेत्र के बघेल मोहल्ला में रहने वाली 17 वर्षीय मोनिका बघेल पुत्री ओमप्रकाश बघेल ने बीती 21 जनवरी की शाम अपने घर में ही फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने शव का पीएम करवाकर मर्ग कायम कर लिया था। विवेचना के दौरान पुलिस को पता लगा, कि मृतका की पड़ोस में रहने वाले निखिल बघेल से बातचीत होती थी। विगत कुछ दिनों से दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। तब से निखिल लगातार मोनिका को धमकी दे रहा था। इसी से तंग आकर उसने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया।

उक्त जानकारी सामने आने के बाद पुलिस द्वारा निखिल बघेल को आरोपी बनाते हुए उसके खिलाफ बीएनएस की धारा 107 व 351 (2) के तहत एफआईआर दर्ज कर ली गई है। गिरवाई टीआई सुरेंद्रनाथ सिंह यादव ने बताया कि फिलहाल आरोपी फरार बना हुआ है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसे जल्द ही पकड़ लिया जाएगा।

अश्लील फोटो, वीडियो से ब्लैकमेल की चर्चा

उधर क्षेत्र में चर्चा यह है कि आरोपी के पास मृतका के कुछ अश्लील फोटो व वीडियो थे। जिसके आधार पर वह उसे ब्लैकमेल कर रहा था। जो उसे धमकी देता था, कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी, तो वह उसके फोटो- वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर देगा, जिससे उसकी काफी बदनामी होगी। संभवत: इसी डर से किशोरी ने आत्महत्या कर ली। हालांकि पुलिस ने वीडियो - फोटो वाली बात से अनभिज्ञता जताई है।

कंटेनर ने कार में मारी टक्कर पुरानी छावनी थाने में मुरैना निवासी निरंजन कुशवाह ने शिकायत की है, कि बीते रोज निरावली तिराहे पर कंटेनर क्रमांक एचआर 38 जेड 91 के चालक ने उसकी कार में टक्कर मार दी, जिससे वह क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि वह बाल-बाल बच गया।